



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U 40101 UP 1980 SGC 005065

पत्र संख्या: 1966 -मा०सं०-०३/उनि०लि०/२०१५-५(११)-मा०सं०-०३/२०१५

दिनांक: ०९.०९.२०१५

"कार्यालय ज्ञाप"

- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या 2608/2011, पी०पी० पावर कारपोरेशन लि० बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या 8/4/1/2002टी०सी०-१-का-२/२०१५, दिनांक 21.08.2015, जिसे उत्पादन निगम के निदेशक गण्डल के अनुमोदन से कार्यालय ज्ञाप संख्या 1528/मा०सं०-०३-०२/उनि०लि०/२०१५ दिनांक 25.08.2015 द्वारा निगम की सेवाओं में लागू करने हेतु अंगीकृत किया गया है तथा इस क्रम में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश संख्या 2202/२४-पी-२-२०१५-सा०(१३०)/१५ टी०सी०-२ दिनांक 26.08.2015 तथा आदेश संख्या 2205/२४-पी-२-२०१५-सा०(१३०)/१५ टी०सी०-२ दिनांक 27.08.2015 के अनुपालन में एतद्वारा निगम में आमेलित श्री यतीश भास्कर (अनु० जाति) पारीछा परियोजना को "उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" की धारा-३(७) के अन्तर्गत रसायन ग्रेड-१। के पद से रसायनज्ञ ग्रेड-१ के पद पर पदोन्नति का लाभ दिनांक 05.06.2007 से प्राप्त हुआ है, को पोषक संवर्ग (रसायनज्ञ ग्रेड-१।) पद पर एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर रसायनज्ञ ग्रेड-१ के पद पर दिनांक 04.03.2015 को प्रोन्नत आसन्न कनिष्ठ के अनुक्रम में श्री भास्कर को रसायनज्ञ ग्रेड-१ के पद पर दिनांक: 04.03.2015 से प्रोन्नत माना जायेगा।
- २- रसायनज्ञ ग्रेड-१ के पद पर दिनांक 04.03.2015 से पदोन्नति किये जाने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण शासनादेश संख्या 8/4/1/2002टी०सी०-१-का-२/२०१५, दिनांक 21.08.2015, के प्रस्तर 6(ख) में दी गई व्यवस्थानुसार विनियमित/निर्धारित होगा।
- ३- उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

निदेशक (कार्मिक)

पत्र सं०: 1966 -मा०सं०-०३/उनि०लि०/२०१५ तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ आफिसर।
2. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(कार्मिक)/(वाणिज्य एवं परियोजना), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ० प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 8/4/1/2002टी०सी०-१-का-२/२०१५, दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निर्गत निगम आदेश सं० 1528/मा०सं०-०३-०२/उनि०लि०/२०१५ दिनांक 25.08.2015 में निहित प्राविधानों के अनुरूप वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।
4. मुख्य अभियन्ता, (मा०सं०) उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, पारीछा ताप विद्युत गृह, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, पारीछा (झॉसी) को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी को पोषक संवर्ग पद पर एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर अनुमन्य पद/धारित पद की संशोधित तिथि पर योगदान आख्या प्राप्त कर, उनकी सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि व संगत कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से निगम (मु०) को संज्ञानित करायेगें।
6. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/ईंधन/आर एण्ड एम/जानपद/जानपद एवं नव परियोजना/पीपीएमएम/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/४६वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226010
8. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेतन निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही करायी जाने हेतु प्रेषित।
9. सहायक अभियन्ता (डाटा बेस इकाई), उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०, को इस अनुरोध के साथ कि वह इस आदेश को निगम वेबसाइट पर अपलोड करा दें।
10. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार)

अधिशारी अभियन्ता (मा०सं०-०३)